शोध मंथन Vol. XIII No.IV Oct.-Dec. 2022 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.783 (SJIF)

भीमराव रामजी अम्बेडकर का राजनीतिक एवं आर्थिक दर्शन

प्राप्तिः 05.11.2022
स्वीकृतः 24.12.2022

79

प्रो० गुंजन त्रिपाठी
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
मु०ए०ज० खेमका गर्ल्स पी०जी० कॉलेज, सहारनपुर
ईमेलः *poonambhardwajdr@gmail.com*

सारांश

प्रस्तुत शोधपत्र में विद्या के धनी, महान विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, जातिप्रथा के घोर विरोधी, सामाजिक समता, न्याय के प्रबल समर्थक[1] और अद्‌भुत प्रतिभा के धनी भीमराव अम्बेडकर के आर्थिक व राजनीतिक चिन्तन के विभिन्न आयाम का विस्तार से विश्लेषण किया गया है।

उनकी शैक्षिक विशेषज्ञता अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र दोनों में होने के कारण दोनो ही क्षेत्रो में उनके विचारों में सहयोग और सामंजस्य दृष्टिगत होता है।

डॉ० अम्बेडकर का राजनीतिक दर्शन

अम्बेडकर का राजनीतिक दर्शन व्यवहारिक तथा एक निश्चित कार्यक्रम पर आधारित था। वे मानव को एक अद्‌भुत तथा मननशील प्राणी मानते थे। उनके अनुसार मानव–जीवन निरंतर परिवर्तन तथा जोखिम उठाने का नाम है। मानव साधन नहीं अपितु साध्य है। सभी कार्यकलापो का अंतिम उद्देश्य वे अरस्तु की भांति अच्छे जीवन की प्राप्ति को मानते थे। अम्बेडकर का अधिकार का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ अविच्छिन्न अधिकार है, जो प्राकृतिक एवं स्वभाविक हैं। राज्य का प्रमुख उद्देश्य अधिकारो की व्यवस्था द्वारा अन्याय को रोकना है। कानून उनके अनुसार एक माध्यम है जिसके द्वारा राज्य का संचालन होता है। कानून के द्वारा ही समाज के विभिन्न वर्गो के बीच शांति तथा न्याय स्थापित की जाती है।[2]

स्वतंत्रता, समानता और बन्धुतव

अम्बेडकर ने अपने राजनीतिक चिन्तन मे स्वतंत्रता, समानता और बन्धुतव को बहुत महत्व दिया। अम्बेडकर ने कहा कि ''स्वतंत्रता का सिद्धांत हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था का आधारभूत तत्व है। वह सभी लोकतांत्रिक संगठनो की आधारशिला है। क्योंकि सवतंत्रता राजनीतिक विचार विमर्श के बिना किसी प्रकार की लोकशिक्षा, जो लोकप्रिय सरकार की प्रक्रिया के समुचित कार्यान्वयन के लिए अति आवश्यक है। और स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास के रूप मे स्पष्टतया पारिभाषिक राजनीतिक स्वतंत्रता की संकुचित अवधारणा से कही आगे जाती है''। समानता मे प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता तथा अवसर की समानता प्रदान की गई। समानता की अवधारणा जाति, रंग, धर्म के आधार पर सभी प्रकार के भेदभावो का अंत करती है। बंधुत्व शब्द की व्याख्या डॉ० अम्बेडकर ने इस प्रकार की, ''बंधुत्व का अर्थ सभी भारतीयो मे

समान भाईचारे की भावना है। समस्त भारतीय एक राष्ट्र है। यह एक सिद्धांत है जो सामाजिक जीवन को एकता औश्र सुदृढता प्रदान करता है''। डॉ० अम्बेडकर का यह मानना था कि बंधुत्व से ही राष्ट्रीय एकता का सूत्रपात होता है।[3] बंधुत्व से अभिप्राय समस्त भारतवासियों मे भाइचारे की भावना से है। यदि भारतवासी सब एक हैं तो यही वह सिद्धांत है जो सामाजिक जीवन को एकता और दृढ़ता प्रदान करता है। किन्तु इसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। अम्बेडकर ने इस पर बहुत गंभीर विचार रखा है।

भारत को हम एक राष्ट्र कैसे कह सकते हैं। हजारो जातियों मे बॅटी हुई जनता किस प्रकार एक राष्ट्र हो सकती है। जितना शीघ्र हम यह अनुभव कर लें कि अभी हम राष्ट्र शब्द के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ मे राष्ट्र नही हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि यह अनुभव कर लेने पर ही हम एक राष्ट्र बनाने की आवश्यकता का अनुभव करेंगे और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग और साधनो के संबंध मे गंभीरता से विचार करेंगे। क्योंकि भारत मे अनेक जातियाँ हैं जो परस्पर ईर्षा और द्वेष उत्पन्न करती हैं। परन्तु यदि हम वास्तव मे एक राष्ट्र के रूप मे होना चाहते हैं तो हमे इन सब कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि बंधुत्व भी तभी सत्य हो सकता है जब एक राष्ट्र हो। बंधुत्व के बिना समता एवं स्वातंत्र्य की जड़े उतनी ही गहरी हो सकेंगी जितनी रंग की सतह की जड़ होती है।[4]

उन्होने संविधान को भारतीय समाज का दर्पण बताया। संविधान मे हिन्दू शब्द को भी पारिभाषित किया। अनेक ऐसे उपबंध संविधान मे रखे जिसने लोकतंत्र की जड़ो को मजबूत बनाया। इसलिए पं नेहरू ने डॉ० अम्बेडकर को संविधान के ''मुख्य शिल्पकार'' की संज्ञा दी।

डॉ० अम्बेडकर की कानून संबंधी विद्वता एवं सम्मतियो से प्रभावित होकर पूर्व राष्ट्रपति वी०वी० गिरी ने कहा है, जब डॉ० अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के संविधान का मुख्य निर्माता चुना गया तो यह एक ऐसे व्यक्ति की असाधारण विशिष्टता एवं सम्मान प्रदान करना था जो उसके लिए उत्कृष्ट रूप मे योग्य था।

राज्य का स्वरूप

राज्य के स्वरूप की व्याख्या करते हुए डॉ० अम्बेडकर की धारणा उसके लोक कल्याणकारी स्वरूप पर आधारित है। जो उदारवादी और समाजवादी राज्य के गुणो से युक्त उनका एक मिश्रित और समन्वित रूप का प्रतिनिधित्व करता है। एक उदारवादी की तरह वे व्यक्ति की प्रतिष्ठा, गरिमा और उसकी अधिकारयुक्त स्थिति में विश्वास करते हैं तथा एक समाजवादी की तरह राज्य को उसकी इस स्थिति की स्थापना और संरक्षण का एक साधन मानते हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप स्वतंत्रता, समानता और बन्धुतव के सिद्धांतो पर ही नही वरन उनके सक्रिय व्यवहार पर आधारित है।[5]

भारतीय संविधान ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष के रूप में अन्य रूप मे भी उनके राजनीतिक विचार परिलक्षित होते हैं। वे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए संघ राज्य की व्यवस्था मे विश्वास रखते थे। उनके अनुसार भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था दृढ़, प्रगतिशील और परिवर्तनशील है। भारतीय संविधान वास्तव मे व्यक्ति के जीवन और शासन एवं प्रशासन की नैतिकता के नियमो का दूसरा नाम है। परन्तु संवैधानिक नैतिकता का आशय, प्राकृतिक भावना और जन्म से नही होती है, बल्कि उसे निर्मित और विकसित करनी पड़ती है।[6]

सामाजिक न्याय

इसके अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनकी दृष्टि मे सामाजिक न्याय के सिद्धांत का सीधा संबंध भारत की अखण्डता से है, अर्थात इस मातृभूमि मे रहने वाले सभी नागरिक सामान्यतः भाई–भाई हैं, चाहे वह किसी धर्म और जाति को मानने वाले हो। डॉ० अम्बेडकर के मतानुसार सामाजिक न्याय का विचार लोगो मे मात्र राष्ट्रीय भौमिक लाभो का न्यायोचित वितरण ही नही है, अपितु वह मूलतः ऐसी जीवन पद्धति का समर्थक है जो पारस्परिक मान सम्मान, मैत्रीभाव, समान नागरिक होने की उत्कंठा और राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों मे न्यायोचित भागीदारी आदि पर आधारित हो। उन्होंने अपनी सामाजिक न्याय की धारणा के अनुरूप उन सामाजिक न्याय के सिद्धांतो को स्वीकार नही किया, जिसे उन्होंने वर्ण व्यवस्था, प्लेटो की योजना, अरस्तू के चिन्तन, दैवीय कानून, मध्यकालीन दृष्टिकोण, मार्क्सवादी सर्वहारा समाजवाद और महात्मा गाँधी के सर्वोदय समाज मे अन्तर्निहित[7] उनके अनसार सामाजिक न्याय ऐसा हो जो स्वतंत्रता, समानता और बन्धुतव के सिद्धांतो पर आधारित हो। ऐसे सामाजिक न्याय आधारित लोकतंत्र की स्थापना के लिए डॉ० अम्बेडकर ने निम्नलिखित सुझाव दिएः

1. संवैधानिक आधार पर समस्त सामाजिक असमानताओं तथा विशेषाधिकारो का उन्मूलन किया जाए अर्थात वर्ण, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, प्रदेश या किसी अन्य आधार पर प्रचलित सभी प्रकार के ऊँच–नीच के भेदभावो को पूर्णतः समाप्त किया जाए।
2. अस्पृश्यता का संवैधानिक उन्मूलन कर उससे जुड़ी समस्त अयोग्यताओं का अंत किया जाए तथा अस्पृश्य जातियों को तीव्र विकास करने हेतु विशेष कानूनी संरक्षण और सुविधाएँ प्रदान की जाए।
3. बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिको के लिए समानता के आधार पर मौलिक अधिकारो का संवैधानिक प्रावधान किया जाए और उनके संरक्षण की उचित व्यवस्था की जाए।
4. सभी नागरिको के लिए जीवन निर्वाह हेतु समान नागरिक संहिता का निर्माण किया जाए और उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

लोकतांत्रिक व्यवस्था

डॉ० अम्बेडकर का लोकतांत्रिक व्यवस्था मे दृढ़ विश्वास था। उनके अनुसार, ''लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है जिसके माध्यम से लोगो के राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक और आर्थिक जीवन मे भी बिना रक्त रंजित तरीको को अपनाए आमूल–चूल परिवर्तनो को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सके''। लोकतांत्रिक व्यवस्था मे भी अम्बेडकर संसदीय लोकतंत्र के समर्थक थे। जिसमे कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। शासन की सारी शक्तियाँ मंत्रिमंडल मे निहित होती हैं। राज्य का प्रमुख नाम मात्र का शासक होता है और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री करते हैं। संघीय व्यवस्था होने के कारण यह शासन–प्रणाली केन्द्र और राज्य दोनो स्तरो पर है।

संघीय शासन प्रणाली के समर्थक होते हुए भी अम्बेडकर केन्द्रीय शासन को मजबूत रखने के पक्ष मे थे। उनका विचार था कि प्राचीन काल मे भारत पर विदेशो से अनेक आक्रमण हुए और भारत राजनीतिक एकता के अभाव मे इन आक्रमणो का सामना नही कर सका और उसे बारबार पराजित होना पड़ा। इसलिए अम्बेडकर के विचारो के अनुरूप भारत जैसे विशाल देश मे, जहाँ

जातियो, धर्मो और भाषाओ की विभिन्नता है, संघीय व्यवस्था के साथ–साथ शक्तिशाली केन्द्र की भी संविधान मे व्यवस्था की गई है।[8]

अम्बेउकर लोकतंत्र मे दो दलीय व्यवस्था को आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार जब तक जनता के हाथो मे एक दल को सत्ता से हटाकर दूसरे के सत्ता प्रदान करने का विकल्प विद्यमान हो, तब तक जनतांत्रिक शासन का कोई अर्थ और औचित्य नही है। दो दलीय व्यवस्था संभव होने पर अम्बेडकर बहुदलीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं। क्योंकि एक से अधिक दल होने पर ही विवेक का विकास संभव हो पाता है। उनके अनुसार लोकतंत्र मे सत्ताधारी दल के साथ–साथ मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। जिसके कारण लोकतंत्र स्वस्थ व गतिशील रहता है और उसका लोक कल्याणकारी स्वरूप भी निरंतर बना रहता है।[9]

डॉ० भीमराव अम्बेडकर का आर्थिक चिन्तन

स्वतंत्र मजदूर पार्टी के घोषणापत्र मे अम्बेडकर के आर्थिक विचार स्पष्ट होते हैं। उनके अनुसार कृषि को व्यससाय के रूप मे देखा जाए। इस व्यवसाय को आर्थिक सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके लिए भू–विकास बैंक, को–ऑपरेटिव क्रेडित सोसाइटीज, मार्केटिंग सोसाइटीज की स्थापना की जाए। कृषि व्यवसाय इसलिए घाटे मे है क्योंकि जमीन के छोटे–छोटे टुकड़े किये गये हैं। कृषि पर बहुत बड़ी जनसंख्या निर्भर है। इस जनसंख्या को दूसरे व्यवसाय की तरफ मोड़ना जरूरी है। उद्योग व्यवसाय की शिक्षा देने वाले शिक्षा केन्द्र शुरू करने जरूरी हैं।

जनहित की दृष्ट से देश के बड़े उद्योगो का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है। अम्बेडकर का यह भी कहना था कि देश की अर्थ व्यवस्था का लाथ विशेष वर्ग को ही होता है। बहुत बड़े वर्ग पर यदि अन्याय हो तो इस व्यवस्था को बदलना, परिवर्तित करना या नष्ट करना जरुरी है। जमीन जोतने वाले की ही जमीन होनी चाहिए। उनके अनुसार मजदूरो का शोषण रोकने के लिए उनके वेतन पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। और उनके अवकाशो, कार्यावधि, वैतनिक अवकाश, बोनस, पेन्सन आदि की कानूनी व्यवस्था आवश्यक है।[10]

उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि अम्बेडकर का अपना एक आर्थिक दर्शन था। 9 सितंबर 1943 को प्लेनीर लेबर परिषद के सामने औद्योगीकरण पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, ''पूंजीवादी संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था मे दो बाते आवश्य होती हैं। जो काम करते हैं उन्हे गरीबी मे रहना पड़ता है और जो काम नही करते हैं उनके पास बहुत पूंजी जमा हो जाती है। एक तरफ राजनीतिक समता और दूसरी तरफ आर्थिक विषमताएं। जब तक मजदूरो को मकान, कपड़ा, सहारा, निरोगी जीवन नही मिलते, विशेष रूप मे जब तक वह सम्मान के साथ निर्भय हो जीवन यापन नही कर सकता तब तक स्वतंत्रता कोई मायने नही रखती। हर मजदूर को सुरक्षा और राष्ट्रीय संपत्ति मे सहभागी होने का आश्वासन मिलना आवश्यक है।'' वे चाहते थे कि श्रम का मूल्य बढ़े। एक अर्थशास्त्री होने के कारण इन सवालो को सुलझाने के तरीके भी उन्हे मालूम थे। इसलिए उनके शासनकाल मे मिल मजदूरो, खानश्रमिको, चाय बागान मे काम करने वालो– इन सबके लिए जितने सुधार किये गए उतने उनसे पहले किसी के कार्यकाल मे नही हुए थे। वे खुद जाकर उद्योग धंधो और कारखानो की जांच करते और मजदूरो की परेशानियो को समझकर आवश्यक कानून पास करवाते।[11]

अम्बेडकर ने भारत मे श्रमिक आंदोलन को बढ़ाने मे अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 1936–37 मे भारतीय स्वतंत्र श्रमिक दल का गठन किया। 1937 मे बम्बई विधान परिषद के

सदस्य के रूप मे उन्होंने कृषको, कृषि श्रमिको तथा समाज के सभी वर्गो से आए श्रमिको की समस्याओ के समाधान मे अपना योगदान दिया। वे पहले भारतीय विधायक थे जिन्होंने कृषिदासता की प्रथा को समाप्त करने का विधेयक प्रस्तुत किया। वे जून 1942 से जून 1946 तक वायसराय की कार्य–कारिणी परिषद मे श्रम सदस्य थे। यह काल भारत मे श्रम कल्याण के इतिहास मे अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय श्रमिको को पारिश्रमिक के साथ अवकाश देने हेतु फैक्ट्री कानून मे संशोधन किया गया। उन्होंने कृषि तथा औद्योगिक दोनो प्रकार के श्रमिक के साथ समान व्यवहार पर बल दिया।[12] इस प्रकार राजनीतिक और आर्थिक चिन्तन के क्षेत्र मे डॉ० अम्बेडकर विचार बहुत सारगर्भित हैं।

संदर्भ

1. अवस्थी, डा० ए०पी०. भारतीय राजनीतिक विचारक. लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन. पृष्ठ 326.
2. वर्मा, डा० वी०पी०. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन. लक्ष्मी नारायण अवाल प्रकाशन. पृष्ठ 927.
3. स्नेही, डा० काजीचरण. भारत रत्न डॉ० भीमराव अम्बेडकर. आराधना ब्रदर्सः कानपुर. पृष्ठ 109.
4. हर्ष, हरदान. डॉ० भीमराव अम्बेडकर, जीवन और दर्शन. पंचशील प्रकाशनः जयपुर. पृष्ठ 92.
5. जैन., मेहता. राजनीति विज्ञान. एस.बी.पी.डी. पब्लिशिंग हाउस. पृष्ठ 215.
6. (2013). राजशास्त्र वीथिका. जुलाई–दिसम्बर. पृष्ठ 65. ISSN 2250-2068.
7. (2014). राजशास्त्र वीथिका. जनवरी–जून. पृष्ठ 115. ISSN 2250-2068.
8. उपरोक्त सं. 4, पृष्ठ 220–21.
9. गुप्त, विश्व प्रकाश. भीमराव अम्बेडकर, व्यक्तित्व और विचार. राधा पब्लिकेशंस. पृष्ठ 142.
10. उपरोक्त सं. 4, पृष्ठ 221.
11. रणसुभे, डा० सूर्य नारायण. डॉ० बाबा साहब अम्बेडकर. राधा–कृष्ण पब्लिकेशंस. पृष्ठ 92.
12. मून, वसंत. डॉ० बाबा साहब अम्बेडकर. अनुवादक– प्रशांत पांडेय. नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया. पृष्ठ 167.
13. वर्मा, डा० वी०पी०. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन. लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशक. पृष्ठ 926.